Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 13, Issue 1 | May 2025 - October 2025 | pp. 86-91

वंचित वर्ग का ऐतिहासिक विश्लेषण

डॉ. सुरेश चन्द शर्मा

सीनियर फैलो, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली
राजनीति विज्ञान विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

भारतीय सामाजिक व्यवस्था में अनेक वर्गों का अस्तित्व रहा है। इनमें कुछ वर्ग समाज में प्रतिष्ठित व आर्थिक व राजनीतिक रूप सम्पन्न हैं तथा कुछ कमजोर व दुर्बल होते हैं। इसी दुर्बल व कमजोर वर्ग को वंचित वर्ग कहा जाता है। इसी वंचित वर्ग को प्राचीन काल की वर्ण व्यवस्था में 'शूद्र' मध्यकाल में अछूत तथा बहिष्कृत तथा आधुनिक काल में महात्मा गांधी द्वारा 'हरिजन', डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा 'दलित' तथा संविधान में अनुसूचित जाति कहा गया। वंचित वर्ग को समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं या कारणों से अवसरों, सेवाओं, संसाधनों व सफलता तक पहुंचने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। ये बाधाएँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक रही हैं। जिसके कारण वंचित वर्ग गरीबी, भेदभाव, असमानता, छुआछूत, शिक्षा का अभाव तथा सामाजिक बहिष्कार से पीड़ित रहा है। वंचित वर्ग के उत्थान व समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के लिए महात्मा ज्योतिराव फूले, महात्मा गांधी, डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने जीवन पर्यन्त संघर्ष किया। वंचित वर्ग के उत्थान व इनके सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों की रक्षा व व्यक्तित्व के विकास के लिए भारतीय संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं।

संकेताक्षर—*वंचित वर्ग, सामाजिक सुधार, दलित, जाति व्यवस्था*

प्रस्तावना

सदियों से ही भारतीय समाज में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व जातीय वर्गों का अस्तित्व रहा है। हर जाति (वर्ण) के व्यक्ति अपनी वंश परम्परा के अनुसार अपना व्यवसाय अलग-अलग रूप से करते रहे हैं। इनमें कुछ वर्ग समाज में प्रतिष्ठा सम्पन्न व आर्थिक व राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं तथा कुछ वर्ग निम्न व कमजोर होते हैं। समाज के निम्न व कमजोर व दुर्बल वर्ग को वंचित वर्ग कहा जाता है। वंचित वर्ग वह समूह है जिसे सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से समाज की मुख्य धारा से दूर रखा गया है। इनकी वंचना का मूल कारण जाति व्यवस्था, धार्मिक भेदभाव और आर्थिक शोषण रहा है।

सामाजिक आर्थिक विश्लेषण से उद्‌भव वंचित वर्ग समाज के उन कमजोर समूहों को पहचानने के लिए गढ़ा गया था जो जाति, नस्ल, लिंग, आय, शिक्षा, स्वास्थ्य व व्यवसाय या अन्य विशेषताओं के कारण हाशिए पर हैं और जिनके पास समाज की मुख्य धारा में भाग लेने के लिए समान अवसर नहीं हैं।

वैश्विक संदर्भ में वंचित वर्ग शब्द का प्रयोग नस्लीय या जातीय अल्पसंख्यक, महिलाएँ, विकलांग व्यक्ति और निम्न आय वर्ग जैसे विविध समूहों के लिए किया जाता है।

वंचित वर्ग का शाब्दिक अर्थ है अभाव, विहीन आदि। जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सुविधा से विहीन हो जाता है तो वह उस वस्तु या सुविधा से वंचित हो जाता है, ऐसा व्यक्ति असंतुष्ट रहता है और अपने व्यक्तित्व का पूर्व रूप से विकास नहीं कर पाता है। हमारे भारतीय समाज का ढांचा जन्म प्रदत्त जातियों पर आधारित है। भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य

में विशेषतः जातिगत संदर्भ में ऐसा वर्ग अस्तित्व में है जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से वंचित वर्ग कहलाता है। इसे हम 'दलित' या 'हरिजन' नाम से पुकारते है। आर्थिक रूप से वंचित वर्ग एक वैश्विक समस्या है। इसके अन्तर्गत अमीरी व गरीबी आती है। गरीब वर्ग आर्थिक रूप से वंचित वर्ग कहलाता है।[1]

जाति प्रथा के अन्तर्गत चार प्रमुख वर्ग या जातियाँ ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य और शूद्र हैं। इन चारों के अतिरिक्त एक पंचम जाति भी है जिनके सदस्यों को परम्परागत रूप से अस्पृश्य या अछूत कहा जाता था किन्तु आज उन्हें हरिजन या अनुसूचित जाति कहते हैं, शूद्र भी इसी जाति के अन्तर्गत माने जाते हैं।[2]

जिन क्षेत्रों में आर्थिक वंचना अधिक पाई जाती है वहां जातीय दंगे भी बहुत बार होते है। उच्च जाति के जमींदार परिवारों ने दलितों या हरिजनों पर आक्रमण किए है तथा उनकी हत्याएँ की है तथा स्त्रियों को अपमानित किया है।[3]

भारत में परम्परागत सामाजिक संगठनों के अनुसार हिन्दू समाज पांच वर्गों में बंटा हुआ था और अनुसूचित जाति पंचम वर्ग में आती थी। भारतीय वर्ण व्यवस्था में स्थिति चार वर्णों के पश्चात् इनका स्थान आता था। इन जातियों को विभिन्न नामों से सम्बोधित किया जाता था। प्राचीन धर्म ग्रन्थों में चाण्डाल। सन् 1933 में गांधी जी ने इन्हें 'हरिजन' अर्थात् 'ईश्वर की सन्तान' तथा डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने 'दलित' की संज्ञा दी। 1932 के आस पास अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग अछूतों के लिए किया जाने लगा। सन् 1930 में भारत सरकार ने इन लोगों के सम्बन्ध में एक उचित शब्द खोजने का प्रयत्न किया जिससे इनके सम्बन्ध में एक उचित और प्रशासकीय कार्यवाही की जा सके। अतः गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया एक्ट 1935, सेक्सन 309 के अनुसार साइमन कमीशन ने इनको अनुसूचित जाति नामकरण दिया। भारत के विभिन्न हिस्सों में इन अछूत, अस्पृश्य तथा वंचित जातियों को अनुसूचित वर्गों में रखा गया। और यही विभाजन 1950 में भारतीय संविधान में भी स्वीकार किया गया।[4] भारतीय समाज में सामाजिक भेदभाव के कारण निम्न वर्ग, दलित वर्ग अथवा वंचित वर्ग, शताब्दियों तक उच्च जातियों के शोषण, अत्याचारों तथा उत्पीड़न का शिकार रहे हैं।

प्राचीन भारत में वंचित वर्ग

प्राचीन भारत की वर्ण व्यवस्था में समाज को चार भागों में विभक्त किया गया था—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। शूद्र को सबसे निचले स्तर पर रखा गया तथा अन्य तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य सौंपा गया। उन्हें शिक्षा, सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रखा गया।

ऋग्वेद में वंचित वर्ग या 'दलित' के स्थान पर शूद्र का उल्लेख किया गया है जो ऋग्वेद के 10वें मण्डल के 'पुरुष सूक्त' में मिलता है। जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरू (जांघ) से वैश्य तथा पद (पैर) से शूद्र की उत्पत्ति हुई।[5] ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि आर्यों ने बाहर से आकर भारत में अनार्यों को खूब लूटा। इस समय शूद्र उत्पादन का कार्य करते थे।

वेदों में आर्यों से हारे हुए मूल निवासी जो जंगलों में रहकर अपने स्वतंत्र संघर्ष को क्रियान्वित कर रहे थे, उन्हें आर्यों द्वारा दस्यु, दास, अर्थात हिंसक कहा गया।[6]

उत्तर वैदिक काल (1000 ई.पू. से 500 ई.पू. तक) में मजदूरों को भी शूद्र कहा जाने लगा। शूद्रों को उस समय अति निम्न नहीं माना गया। सूत्र युग (600 ई.पू. से 300 ई.पू.) तक में मुख्य रूप से आनुवंशिकता को प्रधानता दी गई। बौद्ध और जैन धर्म के प्रादुर्भाव के कारण व्यवस्था को जो आघात पहुँचा उसे पुनः संगठित किया जाने लगा। विकास में जन्म को पुनः आधार बनाया गया।[7]

तीसरी से छठी शताब्दी ई.पू. में दलितों को अस्पृश्य कहा जाने लगा।[8]

रामायण एवं महाभारत काल में शूद्र (दलित) की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। महाभारत में धर्म एवं सदाचारी शूद्र को विशेष आदर देने का उल्लेख मिलता है। धर्मात्मा शूद्र राजा की आज्ञा पाकर अपनी इच्छानुसार धार्मिक कृत्य तथा सन्यास के अतिरिक्त अन्य आश्रम धर्म अपना सकता था।[9]

वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में शूद्रों के प्रति उचित व्यवहार का समर्थन कई जगह मिलता है। जैसे निषाद राज द्वारा राजा राम का सहयोग करना। नाविक केवट द्वारा नदी पार करवाना, राम द्वारा शबरी के झूठे बेर खाना। रामायण कालीन समाज में अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं किया गया परन्तु राजा राम द्वारा शम्बूक ऋषि का वध किया जाना तत्कालीन समाज व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है।[10] महाभारत के रचयिता वेदव्यास ने विदुर, कर्ण व एकलव्य के चरित्र द्वारा शूद्रों (वंचितों) की

उत्कृष्टता, दानवीरता, साहस, वीरता एवं त्याग का सर्वश्रेष्ठ चित्रण किया है।

बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा के विरुद्ध पहला विद्रोह किया था। महात्मा बुद्ध ने कहा "न जच्चा वसलो होती न जच्चा होति। ब्राह्मणों कम्मना वसलो होति, कमन्ना होती ब्राह्मणों।" अर्थात् जन्म से न कोई वृषल (शूद्र) होता है, न जन्म से कोई ब्राह्मण, कर्म से ही कोई शूद्र होता है और कोई ब्राह्मण[11] त्रिपिटक में बुद्ध द्वारा जाति और वर्ण व्यवस्था के विरोध का उल्लेख मिलता है। मज्झिम निकाय के 'घोटमुख सुत्त, 'आश्वलापन सुत्त', 'माधुटीय सुत्त', 'एसुकटि सुत्त' तथा 'बासेरठ सुत्त' आदि अध्यायों के उदाहरणों से बुद्ध के वर्ण व्यवस्था सम्बन्धी अनेक शास्त्रार्थ और विरोधों का उल्लेख मिलता है।[12]

मनुस्मृति में शूद्रों की दयनीय स्थिति का उल्लेख मिलता है। महर्षि मनु की दृष्टि में शूद्र वर्ण मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता अपितु पशु की श्रेणी में आता है। मनु ने शूद्र की तुलना गाय, हाथी, घोड़ा आदि के साथ की है। तत्कालीन समाज में शूद्र का एक ही कर्त्तव्य निर्धारित था और वह था अपने वर्ण को छोड़कर अन्य सभी वर्णों की पशुवत निःस्वार्थ भाव से सेवा करना। परन्तु उस सेवा में भी ब्राह्मण वर्ग की सेवा को विशिष्ट माना जाता था। शूद्र के लिए सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों, यज्ञादि तथा सभी संस्कारों का निषेध था।[13]

मौर्य काल में वंचित वर्ग या दलितों की स्थिति के सम्बन्ध में कौटिल्य के 'अर्थशास्त्र' एवं मेगस्थनीज की 'इण्डिका' में जानकारी मिलती है। शूद्र वर्ण के प्रति धर्म सूत्रों में वर्णित 'घृणा' अथवा जुगुप्सा का व्यवहार नहीं था। इस युग में शूद्रों को उद्योग एवं व्यवसायों द्वारा जीविकोपार्जन करने तथा देश की समृद्धि में अपना योगदान करने का अवसर प्राप्त था परन्तु राजनैतिक दृष्टि से पूर्व काल में प्रचलित परिपाटी ही विद्यमान थी।

कौटिल्य के अनुसार 'हीन जाति के लिए किसी बलशाली राजा की अपेक्षा उच्च कुल का शक्तिहीन राजा उत्तम होता है क्योंकि लोग उसकी बात मानते हैं।[14] राजा के सन्दर्भ में उक्त विचार होने के बावजूद इस काल में राज्य संचालन में शूद्रों को भी स्थान दिया गया। इस काल में सेना एवं गुप्तचर व्यवस्था में शूद्रों को शामिल करने के उदाहरण मिलते हैं।

गुप्त काल के दौरान जाति व्यवस्था (वर्ण व्यवस्था) बहुत गहराई से स्थापित हो गई थी, जिससे वंशानुगत स्थिति के आधार पर सामाजिक भूमिकाएँ मजबूत हो गई थीं। वंचित वर्ग, अछूत (दलित) जो वर्ण व्यवस्था के बाहर मौजूद थे उन्हें गंभीर सामाजिक भेदभावों का सामना करना पड़ा और उन्हें कचरा प्रबन्धन, चमड़े का काम और अन्य अशुद्ध व्यवसायों जैसे नीच काम करने के लिए मजबूर किया गया।[15]

गुप्तोत्तर कालीन भारत में वंचित वर्ग की सामाजिक स्थिति व आर्थिक अधिकारों का चित्रण प्राप्त होता है। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक 'किताबुल हिन्द' में तत्कालीन भारतीय समाज का चित्रण किया है। इस काल में किसी भी व्यक्ति को अपने वर्ण का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था। जो अपनी श्रेणी से सन्तुष्ट नहीं थे उन्हें दण्ड दिया जाता था। इस काल में शूद्रों की आजीविका से सम्बन्धित आर्थिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। पारासर स्मृति में वैश्य और शूद्रों के लिए कृषि, व्यापार और शिल्प कार्य करने का उल्लेख मिलता है। शूद्र का कर्त्तव्य द्विजों की सेवा सुश्रूषा करना था।[16]

राजतरंगणी से प्रतीत होता है कि वंचित वर्ग के लोग भी उच्च पदों पर पहुंच पाते थे। कथासरित सागर एवं 'राजतरगिणी' में चाण्डाल द्वारा क्षत्रीय वृत्ति का उदाहरण मिलता है।

मध्यकालीन भारत में वंचित वर्ग

भारतीय इतिहास के इस काल में सर्वत्र अराजकता, असमानता, कुव्यवस्था, विदेशी आक्रमणों, अत्याचारों धार्मिक कट्टरता तथा आर्थिक रूप से जन जीवन शोषण व उत्पीड़न से ग्रस्त था। इस युग में वंचितों (दलितों) के लिए ईश्वर की प्रार्थना करना, वेद पढ़ना तथा यज्ञ करना निषेध था। किन्तु पन्द्रहवीं सदी में इनका धार्मिक पुनरुत्थान दृष्टिगत होता है। जो सत्रहवीं सदी तक गतिशील रहा। इस काल में वंचित वर्ग के चर्मकार जातीय परिवार में जन्मे तुकाराम एवं संत रविदास की कर्मनिष्ठा, भक्ति भावना एवं ज्ञान से यह स्पष्ट है कि इस काल में वंचित वर्ग (दलितों) को भी दीक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत, असमानता, पाखण्ड तथा कर्मकाण्ड की बुराइयों को दूर करने के लिए कबीरदास ने अथक प्रयास किए।[17]

वंचित वर्ग के उत्थान व उनमें चेतना जागृत करने के लिए भक्ति आन्दोलन की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। भक्ति आन्दोलन की शुरूआत दक्षिण के आलवार सन्तों से हुई

कर्नाटक में लिंगायत और वीर शैव हुए जिन्होंने जाति पांति का खुलकर विरोध किया। उत्तर भारत में संत रामानन्द भक्ति आन्दोलन को दक्षिण से लाए। नाथ सन्तों ने भक्ति का प्रचार-प्रसार किया जिनमें 9 नाथ व चौरासी सिद्धों की प्रमुखता है, जो अधिकांशतः दलित थे। इस भक्ति आन्दोलन से वंचित वर्ग में चेतना जागृत हुई।

आधुनिक काल में वंचित वर्ग का उत्थान

ब्रिटिश काल में भारत में सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई, परन्तु वर्ण व्यवस्था और रूढ़िवाद पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। ईस्ट इंडिया कम्पनी की सेना में वंचित वर्ग को भर्ती किया गया, जिससे उन्हें शिक्षा और नई सामाजिक दृष्टि मिली। इससे दलितों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना का विकास हुआ।

19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने वंचितों की स्थिति सुधारने में भूमिका निभाई। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कर मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से जन्म आधारित जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाया। स्वामी विवेकानंद ने गरीबों और वंचितों की सेवा को ईश्वर सेवा कहा, जिससे समाज में मानवता की भावना को बल मिला।

महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना कर दलितों, महिलाओं और वंचितों के लिए शिक्षा, समानता और सम्मान की दिशा में कार्य किया। इस आंदोलन ने समाज में व्यापक जागरूकता और राजनीतिक चेतना उत्पन्न की।

महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम के साथ-साथ सामाजिक सुधारों को भी अपना ध्येय बनाया। उन्होंने अस्पृश्यता को "शैतानियत" कहा और हरिजन सेवक संघ तथा हरिजन पत्र के माध्यम से दलित उत्थान के लिए अभियान चलाया। उन्होंने दलितों और महिलाओं को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए संघर्ष किया।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने वंचितों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने 1920 में मूकनायक पत्र और 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कर दलितों की शिक्षा, रोजगार और अधिकारों के लिए कार्य किया। उन्होंने साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन में दलितों के पृथक प्रतिनिधित्व और समान अधिकारों की मांग रखी। 1932 के कम्यूनल अवॉर्ड के विरोध में गांधी के साथ पूना पैक्ट हुआ, जिसके तहत दलितों को राजनीतिक आरक्षण मिला।

संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अम्बेडकर ने वंचित वर्गों के लिए आरक्षण, समानता और न्याय के संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित किए। उनके प्रयासों से आधुनिक भारत में सामाजिक न्याय की नींव पड़ी और वंचित वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसर प्राप्त हुए।

स्वतंत्रता के बाद वंचित वर्ग

स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में वंचित वर्गों—अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों और महिलाओं—को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है, जिसमें विधि के समक्ष समानता (अनु.14), भेदभाव का निषेध (अनु.15), सार्वजनिक नियुक्तियों में समान अवसर (अनु.16), अस्पृश्यता का अंत (अनु.17) और उपाधियों का उन्मूलन (अनु.18) शामिल हैं।

स्वतंत्रता के अधिकार (अनु. 19-22) के अंतर्गत नागरिकों को वाक्, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, आवागमन, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता दी गई है, साथ ही जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण (अनु. 21) सुनिश्चित किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनु. 23-24) के तहत बेगार, मानव व्यापार और बालश्रम पर रोक लगाई गई है। संस्कृति और शिक्षा के अधिकार (अनु. 29-30) अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार देते हैं। राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों (अनु. 36-51) में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना (अनु. 38), न्याय तक समान पहुंच (अनु. 39A), प्राथमिक शिक्षा (अनु. 45) और अनुसूचित जाति-जनजातियों की उन्नति (अनु. 46) के प्रावधान हैं।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए अनुच्छेद 330 और 332 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। पंचायतों और नगरपालिकाओं में भी (अनु. 243D, 243T) आरक्षण की

व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 338 और 338A के तहत क्रमशः अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित हैं, जबकि अनुच्छेद 340 के अनुसार राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशा पर आयोग नियुक्त कर सकता है।

इस प्रकार, संविधान वंचित वर्गों को न केवल समान अवसर और सुरक्षा प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक न्याय की दिशा में एक सशक्त मार्ग भी प्रशस्त करता है।

संवैधानिक प्रयासों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी व सहायता कार्यक्रम समय-समय पर चलाए गए। पंचवर्षीय योजनाओं में भारत के संविधान में उल्लिखित निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों के शैक्षणिक स्तर को राष्ट्रीय स्तर का लाने का प्रयास गत अर्द्ध शताब्दी से किया गया। वंचित वर्ग के बाहुल्यता वाले क्षेत्रों में अग्रता के आधार पर शैक्षणिक संस्थाएँ खोली गई। छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क मुक्ति, दोपहर का भोजन, पोशाक, पाठ्य पुस्तकें और लेखन सामग्री उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। मैट्रिक तथा उसके बाद स्कूलों व उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए सीटों का आरक्षण तथा कोचिंग एवं छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। जो वंचित वर्ग के लोगों के शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक सिद्ध हुई।

निष्कर्ष

वंचित वर्ग का इतिहास सदियों से ही असमानता, शोषण व उपेक्षापूर्ण रहा है । वंचित वर्ग की जड़ें प्राचीन भारतीय वर्ण व्यवस्था में निहित हैं जिसमें समाज को चार श्रेणियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया था तथा इस व्यवस्था में शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया। और उन्हें अछूत माना गया। उन्हें सामाजिक जीवन से पूरी तरह अलग थलग कर दिया गया था और उन्हें शिक्षा, सम्पत्ति के अधिकार तथा धार्मिक क्रियाकलापों में भाग लेने के बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित रखा गया था।

मध्यकाल में भी जातिगत भेदभाव जारी रहा और वंचित वर्ग शूद्रों को अछूत और बहिष्कृत कहा गया। उन्हें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर रहने के लिए मजबूर किया गया इस दौरान वंचित वर्ग की दशा सुधारने तथा उनमें चेतना जागृत करने के लिए भक्ति आन्दोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

ब्रिटिश काल में वंचित वर्ग के उत्थान व कल्याण के लिए सामाजिक व आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1932 में पूना पैक्ट जैसी कुछ पहलें हुई, जिसने वंचित वर्ग के लिए कुछ विशेष प्रावधानों की शुरूआत की। हालांकि भेदभाव व उत्पीड़न की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान में वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा तथा उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई महत्त्वपूर्ण प्रावधान किए गए। संविधान के अनुच्छेद-15 और अनुच्छेद-17 ने जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त कर दिया। इसके अलावा अनुच्छेद-46 में राज्य को कमजोर व वंचित वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। संविधान ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए जिसमें सरकारी शिक्षण संस्थानों और राजनीतिक सीटों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। जिससे वंचित वर्ग के साथ ऐतिहासिक अन्याय को दूर किया जा सके तथा समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। वर्तमान में भी भारत सरकार व राज्य सरकारों द्वारा वंचित वर्ग के उत्थान व कल्याण के लिए अनेक शैक्षिक, आर्थिक कार्यक्रमों का संचालन निरंतर किया जा रहा है जिससे वंचित वर्ग की स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है और यह वर्ग समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है। इन सबके बावजूद भी वंचित वर्ग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जातिगत हिंसा, भेदभाव, सामाजिक असमानता आज भी मौजूद है। वंचित वर्ग में जागरूकता बढ़ाना, सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना और संवैधानिक प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू कर इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. सिंह, किरण, सामाजिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा, इंटरनेशनल जनरल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन साइन्स, इन्जिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी, 2018, वोल्यूम-4, ISSN 2395-1990
2. भारतीय, ओमप्रकाश, दलितों में सामाजिक गतिशीलता एवं राजनैतिक चेतना, कला प्रकाशन, वाराणसी, 201, पृ.सं. 30
3. शर्मा, के.एल., भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली, 2006, पृ.सं. 154

4. उपर्युक्त, पृ.सं. 53
5. ऋग्वेद, पुरुष सूक्त 10,90,1.2
6. गुप्ता, दीप्ति, दलित आन्दोलन और सामाजिक न्याय, राधा पब्लिकेशन्स, दरियागंज, नई दिल्ली, 2010, पृ.सं. 15
7. सिंह, नरेन्द्र, दलितों के रूपान्तरण की प्रक्रिया, राधाकृष्ण प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली, 1993, पृ.सं. 33.
8. उपरोक्त, पृ.सं. 43-44
9. शास्त्री, गंगा प्रसाद, महाभारत, हिन्दी अनुवाद सहित, गीता प्रेस गोरखपुर, 13.37.28
10. शास्त्री, श्री निवास एवं शास्त्री, चन्द्रशेखर, रामायण, हिन्दी टीका सहित, गीता प्रेस गोरखपुर, 7, 73, 76
11. सांकृत्यायन राहुल, विनयपिटक
12. ठाकुर, हरिनारायण, दलित साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय ज्ञानपीठ, लोदी रोड, नई दिल्ली, 2010, पृ.सं. 185
13. सिंह, प्रेम, शूद्र वर्ण की स्थिति (मनु स्मृति के सन्दर्भ में), इंटरनेशनल जनरल ऑफ संस्कृत रिसर्च ISSN 2394-7519, IJSR 2012
14. शास्त्री, शाम, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, 8 .2 23, नई सड़क, दिल्ली
15. नेक्ट्स आईएएस, गुप्त कालीन समाज : सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएँ, जुलाई 16, 2025
16. विष्णु स्मृति 2.4.8.10.14, पृ.सं. 12-13
17. भारतीय, ओमप्रकाश, पूर्वोक्त, पृ.सं. 79